पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय

शिकोहाबाद – 283 135 (उ.प्र.)

PALIWAL POSTGRADUATE COLLEGE

SHIKOHABAD-283 135 (U.P.)

विवरण पुस्तिका

(PROSPECTUS)

2026-2027

डाक द्वारा मूल्य : 425/–रूपये

मूल्य : 400/–रूपये

www.dbrau.ac.in www.paliwalcollege.com e-mail : pdc_skb@yahoo.com

माँ सरस्वती

“सा विद्या या विमुक्तये”

पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय
शिकोहाबाद (उ. प्र.)

परिचय

परम् पिता परमात्मा की असीम अनुकम्पा से विद्यालय की स्थापना प्राइमरी स्कूल के रूप में जुलाई 1945 में शिकोहाबाद स्थित अग्रवाल धर्मशाला के सामने किराये के एक भवन में हुई थी। विद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा और इसे 1948 में जूनियर हाईस्कूल, 1951 में हाईस्कूल, 1953, 1955, 1958 तथा 1961 में क्रमशः इण्टर कक्षाओं में साहित्य, वाणिज्य तथा विज्ञान और हाईस्कूल में कृषि वर्ग की मान्यता प्राप्त हुई। नवीन कक्षाओं के खुलने के साथ–साथ छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती गई।

परमात्मा की महान कृपा से 1969–70 में इसे आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से बी.एससी. प्रथम वर्ष की कक्षायें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ खोलने की अनुमति प्राप्त हुई। सत्र 1970–71 से बी.एससी. द्वितीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ हुई और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 1990–91 से बी.एससी. तृतीष वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ हई। सत्र 1992–93 में महाविद्यालय को एम.एससी. गणित की कक्षायें प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त हुई। सत्र 1993–94 से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग (पी.जी. डी.सी.पी.) की कक्षायें प्रारम्भ हुई। सत्र 1997–98 से बी.एससी. प्रथम वर्ष में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान तथा बीज प्रौद्योगिकी की कक्षायें भी प्रारम्भ हो चुकी हैं।

सत्र 2000–2001 में स्नातकोत्तर स्तर पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों की कक्षायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ही सत्र 2003–04 से एम.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान) की कक्षायें भी प्रारम्भ की जा चुकी है। सत्र 2004–05 से पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑफिस मैनेजमेन्ट (पी.जी.डी.सी.ए. एण्ड ओ.एम.) का एक वर्षीय पाठ्यक्रम (दो सेमेस्टर) भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

महविद्यालय में स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र विषय की 2010–11 से मान्यता है, और पार्यप्त संख्या में छात्र/छात्राऐं अन्य विषयों के साथ अर्थशास्त्र विषय चुन रहे हैं।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.बी.ए (BBA) पाठ्यक्रम सत्र 2024–25 से संचालित है।

पाठ्य विषय

सत्र 1988–89 से आगरा विश्वविद्यालय द्वारा त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसके अनुसार पाठ्य विषय निम्न प्रकार हैं–
त्रिवर्षीय ऐच्छिक विषय–

जीव विज्ञान वर्ग : 1. वनस्पति विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. जन्तु विज्ञान

अथवा

1. वनस्पति विज्ञान 2. रसायन विज्ञान 3. बीज प्रौद्योगिकी

गणित वर्ग : 1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. रसायन विज्ञान/अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर विज्ञान

बी.बी.ए. (BBA) पाठ्यक्रम

एम. एससी.
– गणित (सरकारी अनुदान पर प्रवेश)
– भौतिक विज्ञान (स्ववित्तपोषित)

– रसायन विज्ञान (स्ववित्तपोषित)
– जन्तु विज्ञान (स्ववित्तपोषित)
– वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान (स्ववित्तपोषित)

महाविद्यालय में प्रवेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 (NEP-2020) के तहत होंगे। इस सम्बन्ध में विश्व विद्यालय द्वारा प्राप्त नियमावली/दिशा निर्देश विस्तृत रूप से निम्न प्रकार है:

महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों का संकायवार विवरण:–

विज्ञान संकाय–	गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान
	जन्तु विज्ञान	वनस्पति विज्ञान		
कला संकाय–	अर्थशास्त्र			
कृषि संकाय–	बीज प्रौद्योगिकी			

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षानीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार किये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों एवं स्नातकस्तर पर सी0बी0सी0एस0 सेमेस्टर सिस्टम को शैक्षिक सत्र – 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1065/ सत्तर–3–2021–16 (26) 2011 दिनांक 20.04.2021, संख्या 1565 / सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ के द्वारा परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर शासकीय निर्देश जारी किये गये है।

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स ने प्राप्त सभी शासनादेशों को अंगीकृत कर शैक्षिक सत्र 2021–22 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष में प्रवेश–सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम / मानक दिशा – निर्देश (गाइडलाइन) तैयार किये हैं। टास्क फोर्स द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देशों को लागू, किया जाना प्रस्तावित है। इसी सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित, प्रारूप अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. क्षेत्र :

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अन्तर्गत की जा रही व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (बी. टेक. एम.सी.ए आदि) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

1.2 यह व्यवस्था तीन विषय वाले पाठ्यक्रमों बी0 ए0, बी0 एससी0 एवं बी0कॉम0 के सत्र 2021–22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022– 23 से लागू होगी।

1.3 विधि (बी.ए.एल.एल.बी., बी.एससी. एल. एल.बी., एल. एल. बी., एल.एल.एम. इत्यादि) शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पीएड., इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एनईपी– 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जाएगा।

2. परिभाषाएं :

2.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)

विद्यार्थी द्वारा चुने गये अपने संकाय में एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री छः वर्ष की पी0जी0डी0आर0 तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0एड0 बी0बी0ए0, बी0एल0ई0एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

2.2 <u>संकाय (Faculty)</u>

2.2.1 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर जिस संकाय से दो मेजर विषयों का चुनाव करेगा । वह संकाय विद्यार्थी का ''अपना संकाय'' (Own Faculty) कहलायेगा।

2.2.2 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि ।

2.2.3 विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी ।

2.2.4 विद्यार्थियों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1264/सत्तर – 3–2021–16 (26)/2011 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय,7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय. 10.ग्रामीण अध्ययन संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी ।

2.3 विषय (Subject)-

2.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

2.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

2.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper) यथा

2.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर /प्रश्न–पत्र कहा जायेगा ।

2.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

3. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय – सारणी :

3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र–2021–22 में स्नातक स्तर में प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नही होंगे ।

3.2 तीन विषय वाले स्नातक पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) में सी.बी.सी.एस आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021 – 22 से लागू हैं ।

3.3 स्नातक (शोध सहित एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों / कार्यक्रमों मे सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022 – 23 से लागू हैं ।

3.4 बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम सत्र– 2022– 23 से लागू हैं ।

3.5 पीएच.डी. कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022 – 23से लागू हैं ।

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं विषय चयन की व्यवस्था

4.1 प्रवेश

4.1.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू0आर0एन0 नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान / विभाग / महाविद्यालयों में जमा कर मेरिट अथवा अन्य प्रवेश नियमों, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेगें ।

4.1.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बी0ए0, बी0एससी0 अथवा बी0कॉम में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा ।

4.1.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी ।

4.2 मेजर विषयों का चुनाव

4.2.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन महाविद्यालय में मेरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनो पर निर्भर करेगा । यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर तक) अथवा पाँच वर्ष (स्नातक व परास्नातक तक) अध्ययन कर सकेगा ।

4.2.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है ।

4.2.3 इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

4.3 मेजर विषयों को बदलने की सुविधा

4.3.1 विद्यार्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में संकाय अथवा मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.3.2 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

4.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

4.4.1 तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी, को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों मे से कर सकते हैं, इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (per-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी ।

4.4.2 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा दिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

4.4.3 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय (Other Faculty) से करना होगा।।

4.4.4 स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक – एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा ।

4.4.5 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर मे तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

4.4.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर / इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा ।

4.4.7 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान / महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4.5 रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए पेपर का चुनाव

4.5.1 पाठ्यक्रम के प्रकारः पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते है–

Individual Course - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

Progressive Course - एक पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सकेगा ।

4.5.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम के चुनाव कर सकेंगे।

4.5.3 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात (UGC. SWAYAM. MOOCs ETC.) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं ।विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अर्जित किये गए क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथा स्थान जोड़ा जा सके ।

4.5.4 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4:12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा ।

4.6 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम **(Co-Corricular)**

4.6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छह सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-Corricular) करना अनिवार्य होगा

4.6.2 स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम (Co-Corricular) के अध्ययन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगाः–

– प्रथम सेमेस्टरः प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)
– द्वितीय सेमेस्टरः मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
– तृतीय सेमेस्टरः मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
– चतुर्थ सेमेस्टरः शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)
– पंचम सेमेस्टरः विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytical Ability and Digital Awareness)
– षष्ठम सेमेस्टरः संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास (Communication Skills and Personality Development)

4.6.3 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह–पाठ्यक्रम (Co-Corricular) के अध्ययन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा की जाएगी ।

4.6.4 इन सभी सह–पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हे सी.ज़ी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

4.7 शोध परियोजना :

4.7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर / पी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पाँचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री पीएच. डी. कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा ।

4.7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से संबन्धित शोध परियोजना करनी होगी । यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

4.7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग, कम्पनी तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जायेगा ।

4.7.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

4.7.5 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी । शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हे सी0जी0पी0ए0की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा ।

5. कौशल–विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश : रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या –1969/सत्तर–3–2021 दिनांक 18.08.2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होती :–

5.1 पाठ्क्रम

5.1.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति शिक्षा परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.1.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेन्ट कॉउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF: National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.1.3 जन ट्रेड मे यू0जी0सी0/ एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डेवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्क्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टर्नशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।

5.1.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष / शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन करेगा ।

5.1.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रडिट–15 घण्टों का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घण्टों का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घण्टों की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटो की ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/लैब/(2 क्रेडिट) होगी ।

5.3 सीट निर्धारण कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेगे तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जोयगा ।

5.4 समझौता ज्ञापन (MOU)

5.4.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MOU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/ सत्तर–3–2021–08 (35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MOU) किये जाने अपेक्षित हैं।

5.4.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग आई0टी0आई0 पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे।

5.4.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप के लिये विश्वविद्यालयी शिक्षण संस्थान / महाविद्यालय सम्बन्धित विभागों से समन्वय करेंगे।

5.4.4 MOU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये ।

5.4.5 MOU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

6. कक्षाओं हेतु समय–सारणी :

6.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

6.2 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

6.3 कॉलेज समय–सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है। ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश की प्रक्रिया :

7.1 विद्यार्थी का एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा ।

7.2 विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।

7.3 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा ।

7.4 पूर्व पात्रता (Pre-requisite) के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय / तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

8. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश :

8.1 विद्यार्थी के लिए (Certificate in Faculty) का (Course Module) अर्थात प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनत 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।

8.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा । इसके पश्चात ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।

8.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलता पूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात Bachelor Research in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारिता कर सकेगा ।

8.4 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी । सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

9.1 **क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य :** थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा ।

9.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा । शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा ।

9.3 **क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण**: क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या–1816/सत्तर–3–2021 दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा–निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे ।

9.4 **वर्षवार/मॉड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम :–** विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्रीः न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

9.5 **क्रेडिट् अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि–क्रेडिट की सुविधा :–** एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके अधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46,46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.6 **योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा :–** यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

9.7 **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं :–** द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.8 **छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री :–** तीन वर्षो में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी

9.9 **बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) :–** यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनमत 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्कता नहीं होगी ।समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

9.10 **परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि–क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ :–** यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता हैं तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

9.11 **रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट :–** रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट / दो वर्ष 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

10 उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :

10.1 क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा, परीक्षा के बिना क्रेडिट अर्पूण होंगे

10.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

11 राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ :

11.1 **ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट को जोड़ने की व्यवस्था :–** विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों (UGC, SWYAM MOOCs portals) से 20 प्रतिशत तक या यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपालन में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित किये जाने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।

11.2 **विशेष विषय को अन्य शिक्षण संस्थानों से पढ़ने की सुविधा :–** विद्यार्थी की आवश्कता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है ।इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे ।

11.3 एन0सी0सी0 एक लघु–वैकल्पिक विषय (माईनर इलेक्टिव)।

11.3.1 लघु–वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन0सी0सी0 को भी सम्मिलित किया गया है यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षो (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा । (शासनादेश सं0 1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021)।

11.3.2 लघु–वैकल्पिक पेपर एन0सी0सी0 का पाठ्यक्रम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जायेगा तद्नुसार विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति (BOS) एवं अन्य सक्षम समितियों के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी ।

11.3.3 एन0सी0सी. लघु–वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन0सी0सी0 कैडेटों के लिये उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा ।

12 परीक्षा व्यवस्था :

12.1 सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंकों के होंगें, जिनको क्रेडिट एवं फॉर्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में साफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

12.2 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिये सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evalution:CIE) एवं 75 अंको के लिये वाह्म मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी ।

12.3 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।

12.4 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टो को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा ।

12.5 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

12.6 **रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा :**

12.6.1 रोजगारपरक पाठ्यक्रमो की थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों / महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

12.6.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।

12.6.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्र्तगत महाविद्यालय द्वारा। ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे ।

13. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी । तदनक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है:

13.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह – पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा ।

13.2 द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह– पाठ्क्रम तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा ।

13.3 तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह – पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

13.4 चौथे वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष दस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

13.5 पांचवे वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष दस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातकोत्तर Master in Facullty उपाधि प्रदान की जायेगी ।

13.6 छठे वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शोध) (P.G.D.R. - Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया सकता है।

13.7 प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षो में) शोध–प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यकांन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी–एच.डी. की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

13.8 यूनीफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।

13.9 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे ।

13.10 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षो में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा ।

प्रवेश

बी.एससी. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष एवं एम.एससी. प्रथम/द्वितीय वर्ष के प्रवेश क्रमशः इण्टर व बी.एससी. प्रथम/द्वितीय वर्ष एवं बी.एससी. तृतीय वर्ष एवं एम.एससी. प्रथम वर्ष के परिणाम निकलने के बाद प्रारम्भ होंगे। प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों को अपने साथ पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रतिलिपि एवं स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) लाना अनिवार्य है। पी.जी.डी.सी.पी. एवं पी.जी.डी.सी.ए. एण्ड ओ.एम. में वे छात्र/छात्रायें ही अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

किसी अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र **(Migration Certificate)** लाना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क–मुक्ति

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति उ.प्र. शासन/ केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अति निर्धन छात्र/छात्राओं को निर्धन छात्र कोष से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

दानदाताओं द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति एवं स्वर्णपदक

1. सत्र 1989–90 से श्रीमती अगमलता कुलश्रेष्ठ द्वारा अपने पति स्व. श्री ग्रीशचन्द्र कुलश्रेष्ठ, जो इस महाविद्यालय में गणित प्राध्यापक थे, की स्मृति में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति बी.एससी. प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को रु. 100/– प्रतिवर्ष दी जायेगी।
2. सत्र 1991–92 से श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रमा तिवारी के नाम रू. 250/– की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। यह छात्रवृत्ति बी. एससी. (जीव विज्ञान) द्वितीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को दी जायेगी।
3. सत्र 1994–95 से श्री अजय पालीवाल, नई दिल्ली द्वारा स्व. श्रीमती शकुन्तला पालीवाल के नाम रु. 750/– की दो वार्षिक छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ की गई हैं। जो बी.एससी. द्वितीय वर्ष तक के प्राप्तांक के आधार पर गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग के एक–एक निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्रा को दी जायेगी।
4. सत्र 1995–96 से श्रीमती गायत्री देवी पालीवाल, शिकोहाबाद द्वारा स्व. शाह मौजीराम जी पालीवाल की स्मृति में प्रतिवर्ष रु. 350/– प्रति छात्र/छात्रा की दर से बी. एससी. तृतीय वर्ष के निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
5. स्व. श्री शाह उदयराम जी पालीवाल स्मृति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने एम.एससी./एम.ए. गणित में प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
6. स्व. श्री बाबूराम जी पालीवाल स्मृति स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने बी. एससी. (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग) में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।
7. डॉ. ओमप्रकाश सिंह, पूर्व प्राचार्य, पालीवाल कॉलेज, शिकोहाबाद द्वारा अपनी पूज्यनीय माताजी की स्मृति में सत्र 2004–05 से ''श्रीमती पार्वती देवी स्मृति स्वर्ण पदक'' प्रति वर्ष उस छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा जिसने एम.एससी. भौतिक, रसायन, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।
8. डॉ. ललितकुमार शर्मा, रीडर वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा सत्र 2004–05 से श्रीमती कमला शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक प्रति वर्ष स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा।

छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर यदि शुल्क मुक्ति/छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

आवश्यक निर्देश

1.अ) व्यवसायिक पाठ्क्रमों यथा बी.एस.सी, (एग्रीकल्चर), एम.एससी. (एग्रीकल्चर), एल.एल.बी, बीए.एल.एल.बी., एल.एल.एम., एम.एड., बीपी.एड., एमएसडब्लू, एव इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होंगे वहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

ब) बीए., बी.कॉम., बी.एससी., एमए., एम.कॉम., एवं एम.एससी., में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के Samarth Admission Portal के माध्यम से ही किये जायेंगे एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश four year under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होंगे। जिनका अध्यादेश संलग्न है। यथा बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रक्रिया लागू की जा सकती है।

स) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

द) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एसी., बी.कॉम. आदि में किसी एक पाठ्यक्रम /कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठें/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है।

य) स्नातक/परास्नातक स्तर पाट्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता एवं शैक्षिक अभिलेख का सत्यपन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3.अ) अभ्यर्थी केवल एक बार की समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक प्रोग्राम का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु 400/– रू0 तथा परस्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे– एल.एल.बी., बी.पी.एड., एम.एड, एल.एल.एम. आदि) के लिए भी 400/– रू0 होगा। तथा अभ्यर्थी केवल एक वार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।

ब) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वं–प्रमाणित मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

स) सत्र 2026 – 27 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश (**समर्थ प्रवेश पोर्टल**) के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः–
(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नम्बर, (2) समर्थ आई0डी0 लोगिन, (3) प्रोफाइल, (4) अन्य विवरण/निजी जानकारी, (5) फोटो व हस्ताक्षर, (6) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/ भुगतान करना/फार्म प्रिंट Online माध्यम से करके सातवें चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहॉ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र है, जिसका लिए उसे केवल एक वार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नम्बर कराना अनिवार्य है। संस्थान /महाविद्यालय केवल उन्ही अभ्यथिर्यो को प्रवेश दे सकेगें जो Samarth Admission Portal **की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय** Samarth **की** admin login id **पर जाकर अभ्यर्थी की सीट** Confirm **भी करेंगे।**

उपस्थिति

विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उपस्थिति सम्बन्धी नियम छात्र/छात्राओं को यथा समय सूचित कर दिये जाते हैं। निर्धारित उपस्थिति में कमी होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ. प्र.)

(विश्वविद्यालय बेबसाइट : www.dbrau.ac.in)

प्रवेश नियमावली सत्र 2026-2027

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल.एल.बी. प्रथम वर्ष एवं एल.एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

1. (अ) महाविद्यालय में कक्षावार निर्धारित सीटों का विवरण निम्न प्रकार है।

कक्षा		सीटों की कुल निर्धारित संख्या	सामान्य सीटों की संख्या	आरक्षित सीटों की संख्या				
				अनुसूचित जाति 21%	अनुसूचित जनजाति 2%	दिव्यांगजन 3%	पिछड़ी जाति 27%	EWS 10%
1.	बी.एससी. प्रथम वर्ष रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान/ बीज प्रौद्योगिकी	220	88	46	4	8	60	22
2.	बी.एससी. प्रथम वर्ष गणित, भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ कम्प्यूटर विज्ञान/अर्थशास्त्र	220	88	46	4	8	60	22
3.	एम.एससी. प्रथम वर्ष गणित	25	9	5	1	1	7	3
4.	एम.एससी. भौतिक विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	12	6	1	1	8	3
5.	एम.एससी. रसायन विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	12	6	1	1	8	3
6.	एम.एससी. वनस्पति विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	12	6	1	1	8	3
7.	एम.एससी. जन्तु विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	12	6	1	1	8	3
8.	एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	30	12	6	1	1	8	
9.	पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑफिस मैनेजमेन्ट	50	20	10	1	1	14	5
10.	बी.बी.ए.	60	24	12	1	1	16	6

नोट – अन्य कक्षाओं में सभी उत्तीर्ण छात्रों को सम्बन्धित उपाधि हेतु सामान्यतः अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जायेगा। 'विकलांग आरक्षित सीटों की संख्या सम्बधित वर्ग के अन्तर्गत ही सम्मिलित है। विकलांगता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। 10 प्रतिशत ई डब्लू. एस. के लिए आरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

ब. यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेश उपरान्त यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिए गये प्रवेश को प्रर्थना पत्र देकर 15 दिवस में रद्द कराना होगा। तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापस किया जायेगा, शुल्क वापसी की प्रक्रिया दो माह के अन्दर सम्पन्न करनी होगी।

2.(अ) यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अन्तर्गत) में प्रवेश लेने प्रथम वर्ष वाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको NIP-2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरान्त यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं प्रवेश के समय उपाधि शुल्क 300/– रू0 जमा करना होगा। यदि वह डिप्लोमा या सटिर्फिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें।

ब) एम.एससी में प्रवेश हेतु बी.एससी, 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

स) एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।
PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B.Tech.& BCA उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछ्डा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट मान्य होगी।
उपरोक्त परिस्थिति में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी

द) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए SRN (Samarth Registration Number) आवेदन पत्रों के पंजीकरण की सम्भावित तिथि निम्नानुसार होगी – **शैक्षणिक कलैण्डर सत्र–** 2026–27

– महाविद्यालय खुलने के लिए तिथि	**: शासनादेश के अनुसार**
– स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रथम में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि	**: विश्व विद्यालय अदेशानुसार**
– स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि	**: विश्व विद्यालय अदेशानुसार**
– स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि	**: विश्व विद्यालय अदेशानुसार**
– स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय में प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि	**: विश्व विद्यालय अदेशानुसार**

नोट– 1. उक्त तिथियाँ शासनादेशों के अधीन होंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की बेबसाइट को देखते रहें। (www.dbrau.ac.in)
2. उक्त कार्यक्रमों /तिथियों में संशोधन /परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा.कुलपति जी को अधिकृत किया गया ।

3.(अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन.ई.पी.–2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
(ब) महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा। यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
(स) नई शिक्षा नीति–2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नहीं है।
(द) नई शिक्षा नीति–2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई कोई भी नियम नहीं है।
(य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए./बीएससी/बीकॉम/बीएससी ()कृषि/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। परन्तु स्नातकोत्तर नियमानुसर एक से अधिक विषयों में कर सकते हैं।
(र) एन.ई.पी.–2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन.ई.पी.–2020 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

4.(अ) नियमानुसार एल.एल.बी. 6वर्ष, बीए. एल.एल.बी. 8वर्ष स्नातक कृषि अधिकतम 7वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
(ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।

(1) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(2) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(3) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 3वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को Course Module आवश्यक क्रेडित (पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(4) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर आयोजित नहीं किया जायेगा। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्त्तव्य और अधिकार होंगे :–

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith"

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6.(अ) **स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :–**

(1) बी.एससी. फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी.एससी. लाइफ साइंस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी.एससी. (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(4) बी.एससी. (ग्रह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(5) बी.ए./ बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयो के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रो को प्रवेश किया जाये। (List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level along with revised Scheme of Studies)

ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एससी. (कृषि) / बी.एससी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ.प्र. बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों (Both) प्रवेश अर्हता के लिए मान्य होंगे।

(स) **स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :–**

(I) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(II) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बहार (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नहीं आते है तो उत्तर प्रदेश के अर्ह /पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(III) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(I) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(II) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चक्रानुसार।

(III) एस.एन. मेडीकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित–मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट:– **कोई भी राजकीय, अनुदानित महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश भी नहीं देगा।**

(VI) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(VII) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

7.(क) स्नातक कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत / ग्रेड अथवा दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगी।

(क) बीए एलएलबी स्नातक कक्षाओं –

1– हईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50प्रतिशत /ग्रेड दोनों।

2– इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोंनो।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षाओं –

1– इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोंनो।

2– स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षाओं –

2– विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :– 1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनीवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :–

1 .(अ) उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक

(ब) द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक

(स) तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक

(द) प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

2 . एन.सी.सी. ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. ''बी'' सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

3 . स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) — 5 अंक

4 . राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्र धारक — 5 अंक

5 . बी.कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :–

1 . (अ) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रथम विजेता होने के लिए — 8 अंक

(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए — 7 अंक

(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए — 6 अंक

(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 3 अंक

2 .(अ) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए — 5 अंक

(ब) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए — 4 अंक

(स) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए — 3 अंक

(द) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए — 2 अंक

3 . एन.सी.सी. ''सी'' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. ''बी''सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण–पत्र धारक केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

4 . एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। — 5 अंक

5 . महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में प्रथम विजेता होने पर — 5 अंक

द्वितीय विजेता होने पर — 4 अंक

तृतीय विजेता होने पर — 3 अंक

प्रतिभाग करने पर — 2 अंक

नोट– उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक (रोवर्स/रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ग) <u>सभी कक्षायें :–</u>

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रेंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री(अविवाहित) 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी.ए.सी.) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी : 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा तथा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : 1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त ''1'' से ''3 '' के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकरी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

3. उपयुक्त अतिरिक्त अंको का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हों और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण–पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत है।

(स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियामानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिर्वय होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर संपर्क करता रहे और महाविद्यालय सूचना पट पर ही दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन ''अपटू–डेट'' जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ ले, उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उसने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदक यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. नई शिक्षा निति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का समायोजित कर लिया जायेगा।

12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02/10/2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

महाविद्यालय में अनुशासन

अनुशासनबद्ध होकर परिश्रम करना ही हमारी उन्नति का मूल–मन्त्र है और अनुशासन ही सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र एवं छात्रायें अनुशासित जीवन का आदर्श लेकर यहाँ से निकलें।

अनुशासन कोई ऊपर लादने अथवा दबाव डालकर मनवाने की चीज नहीं है। यदि हम इधर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो कुछ ही समय में यह हमारी आदत बन जाती है। अतः हम इधर भी थोड़ा ध्यान दें और इस प्रकार अन्य महाविद्यालयों एवं भावी छात्रों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें।

विद्यार्थियों को चाहिए कि निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दें।

1. (क) अपनी साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल इधर–उधर न रखकर साइकिल स्टैण्ड पर ही रखें।
   (ख) साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल स्टैण्ड पर न रखने पर उस दिन के लिए रू. 10/– दण्ड देना पड़ेगा।
   (ग) मोटरसाइकिल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट आवश्यक है।
2. (क) महाविद्यालय की दीवारों, फर्नीचर को कदापि गन्दा न करें, न तोड़–फोड़ करें और न उस पर कुछ लिखें।
   (ख) दीवारों या फर्श पर न थूकें।
   (ग) पुस्तकालय की पुस्तकों के पन्ने न फाड़ें, ऐसा करने पर पुस्तक की वर्तमान कीमत के साथ–साथ रू. 25/– दण्ड देय होगा तथा भविष्य में पुस्तकालय की सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा।
3. काउन्टर पर पंक्ति में खड़े होकर ही काम करायें।
4. (क) महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार के भाव अपनायें। दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों को कड़ी सजा दी जायेगी जिसका आंकलन प्राचार्य स्थिति की गंभीरता देखकर करेंगे। इस धारा के अन्तर्गत दण्डित छात्रों के चरित्र प्रमाण–पत्र पर इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।
   (ख) दुर्व्यवहार, अनुशासनहीता के अपराध की गुरुता के अनुरुप (1) अर्थदण्ड रू. 50/– तक (2) निष्कासन अथवा निलम्बन (2 से 6 सप्ताह) का दण्ड प्राचार्य/प्रॉक्टर द्वारा दिया जायेगा। निर्धारित एवं नियत तिथि तक प्रवेश न लेना, फार्म न भरना आदि अनुशासनहीनता समझी जायेगी जिसके लिए छात्र/छात्राओं को आर्थिक दण्ड देना होगा।
   (ग) महाविद्यालय परिसर तथा कक्षा में छात्र किसी प्रकार का हथियार न लायें।
   (घ) कक्षा में प्राध्यापक के पहुँचने से पूर्व पहुँचें अन्यथा प्राध्यापक के प्रति दुर्व्यवहार माना जायेगा।
   (ड़) छात्राओं के बैठने वाले कक्ष और प्रांगण में छात्रों का जाना वर्जित है।
   (च) महाविद्यालय के सामान्य प्रशासन को क्षति पहुंचाने, कक्षाओं में पढ़ाई रोकने अथवा भूख हड़ताल करने वाले छात्र/छात्राओं का नाम महाविद्यालय से काट दिया जायेगा और यह दण्ड उनके चरित्र प्रमाण–पत्र पर अंकित कर दिया जायेगा।
   (छ) छात्र अपने साथ में किसी बाहरी तत्व को न लायें। अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी प्राध्यापक अधिकृत हैं और उपर्युक्त सभी धाराओं के अन्तर्गत किसी भी छात्र को निर्देश दे सकते हैं और दण्डित कर सकते हैं।

कालेज में प्रवेश सम्बन्धी नियम

छात्र/छात्राएं अपना प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व इन नियमों को अवश्य पढ़ लें।

1. प्रत्येक प्रवेशार्थी द्वारा दस पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो लाना आवश्यक है
2. अर्ह छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र तथा छात्रवृत्ति फार्म प्रवेश के तुरन्त बाद भरेंगे तथा कम्प्यूटर में डाटा अपने समक्ष पूर्ण करायेंगे।
3. प्रवेश के समय विश्वविद्यालय नामंकन फार्म भरना आवश्क होगा।
4. शुल्क जमा रसीद प्राप्त हो जाने के बाद छात्र का नाम नोमीनल रोल हेतु कम्प्यूटर में फीड कराना छात्र की भी जिम्मेदारी होगी।
5. महाविद्यालय का परिचय–पत्र प्रवेश के समय छात्र द्वारा पूर्ण रूप से भरकर जमा करना होगा तथा चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर होने के पश्चात् दो दिन के अन्दर प्राप्त करना होगा।
6. जाति एवं आय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति तथा प्रत्येक की 5–5 छाया प्रतियां प्रवेश के समय लाना अनिवार्य होगा।
7. प्रवेश के समय समस्त मूल अभिलेखों को लाना अनिवार्य है।
8. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी के माता/पिता का आना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. प्रवेश के तुरन्त बाद छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र/छात्राओं को अपना बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रवेश आवेदन–पत्र (Admission Form) अधूरा रहने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित महाविद्यालय के सूचना पट पर लगा दी जायेगी। छात्र तदनुसार प्रवेश लें।
12. प्रवेश आवदेन पत्र का पंजीकरण शुल्क रु. 25/– महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
13. अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी स्थिति में प्रविष्ट नहीं किए जायेंगे।
14. सभी छात्रों को पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो प्रवेश फार्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकाना होगा।
15. मात्र शुल्क जमा कर देने से प्रवेश नहीं माना जायेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी के प्रवेश फार्म पर प्रवेश अधिकारी 'प्रविष्ट' शब्द अंकित कर दें तथा विधिवत् सूची में नाम आ जाय और प्रवेशार्थी अपने सभी वांछित प्रमाण–पत्र जमा कर दें। ऐसा न होने पर यदि प्रवेश फार्म पर आदेश हो भी गये तो अप्रभावी हो जायेंगे।
16. सभी प्रवेश तभी स्थायी माने जायेंगे जब विद्यार्थी सन्तोषजनक चरित्र प्रमाण –पत्र (Character Certificate), स्थानान्तरण प्रमाण –पत्र (Transfer Certificate), प्रवजन प्रमाण – पत्र (Migration Certificate) वांछित अंकतालिका निर्धारित तिथि तक जमा कर देगा। तिथियों की विज्ञप्ति सूचना–पट पर लगा दी जायेगी। उक्त प्रमाण–पत्रों एवं अंकतालिका को जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा
17. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेंगी।
18. ड्रेस कोड – छात्रों – काली सादा बैल्ट, सफेद शर्ट एवं ब्राउन पेन्ट व काले जूते व सफेद मौजे
    शरद – ब्राउन स्वेटर/ ब्राउन ब्लेजर कोट
    छात्राऐं– सफेद सलवार कुर्ता व सफेद दुपट्टा और काले जूते व सफेद मौजे
    शरद – ब्राउन स्वेटर/ ब्राउन ब्लेजर कोट

विशिष्ट सूचनायें

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों की पर्याप्त संख्या है। प्रतिवर्ष पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिससे अधिकाधिक छात्र अपने–अपने विषयों में नवीनतम् जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

पुस्तकालय में अन्य सुविधाओं के साथ–साथ वर्ष 1976–77 से बुक–बैंक योजना भी संचालित की जा रही है जिसमें निर्धन वर्ग के छात्रों को पुस्तकों के मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करके पूरे सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र को निर्धारित आवेदन–पत्र की पूर्ति कर पुस्तकालय में जमा करना आवश्यक होता है। प्राप्त पुस्तकों को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में प्रवेश–पत्र प्राप्त करने से पूर्व वापिस जमा करना होगा।

प्रयोगशालायें

महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं बीज प्रौद्योगिकी की सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित प्रयोगशालायें हैं जिनमें स्नातक और उच्च स्तर के यन्त्र एवं उपकरण आदि छात्रों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

महाविद्यालय में इस योजना का प्रारम्भ 1978 में हुआ। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा गत वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा, प्रांगण विकास, श्रमदान, मद्यनिषेध, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं बच्चों के रोग प्रतिरोधक टीके लगाने में सहयोग आदि का कार्य कुशलता पूर्वक किया गया है। प्रत्येक वर्ष विशेष सेवा–शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैं। नगर के रोटरी क्लब द्वारा लगाये गये शिविरों में गत वर्षों में महाविद्यालय के छात्रों ने सराहनीय कार्य किया है।

हमारे अनुरोध पर सरकार ने सत्र 1993–94 से एक अतिरिक्त यूनिट खोलने की मान्यता प्रदान कर दी है। अतः महाविद्यालय में अब दो इकाईयाँ कार्यरत हैं। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र पंजीकृत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय केडिट कोर (N.C.C.)

सत्र 1994–95 से बी.एससी., प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु एन.सी.सी. का शुभारम्भ हुआ जिसमें 150 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। डॉ. आर. बी. पाण्डेय (ए.एन..ओ.) के कुशल नेतृत्व में छात्र एन.सी.सी. का प्रशिक्षण ले रहे हैं।

खेलकूद

विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी आवश्यक है। महाविद्यालय में लगभग सभी प्रकार के खेलकूद की व्यवस्था है। इन खेलों के आयोजन के लिए महाविद्यालय में अपना एक क्रीड़ास्थल है जहाँ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वालीबॉल, बैडमिण्टन, बास्केटबॉल आदि खेलों तथा वार्षिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। खेलकूद की सुनिश्चित व्यवस्था क्रीड़ाध्यक्ष की देखरेख में होती है। इसके अलावा महाविद्यालय में इस वर्ष से अपना अत्याधुनिक मशीन द्वारा संचालित जिम भी है।

रोवर्स–रेंजर्स

शासन की नवीन योजनानुसार महाविद्यालय रोवर्स रेजर्स टीम की दो टोलियाँ रोवर्स रेजर्स प्रभारियों के नेतृत्व में गठित की जा चुकी हैं जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को तब तक अग्रसारित नहीं किया जायेगा जब तक महाविद्यालय परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान न हो गये हों। छात्रों से शुल्क नियमानुसार लिया जायेगा। परीक्षा प्रवेश–पत्र प्राप्त होने से पूर्व छात्र को महाविद्यालय की सभी देय राशि आदि का भुगतान करना होगा।
2. अगर कोई छात्र सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ देता है तो उसे रु.10/– रिमूवल शुल्क देनी होगी।
3. छात्रों को महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी. सी.) रु. 2/– शुल्क जमा करने पर तीन दिन में प्रदान किया जायेगा।
4. जो छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में (Ex-Student) अपना विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म अग्रसारित कराना चाहेंगे उन्हें रु. 163/–+10/–(सदस्यता शुल्क) गणित वर्ग में एवं रु. 223/–+10/–(सदस्यता शुल्क) जीव विज्ञान वर्ग में महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी तभी उनका फार्म अग्रसारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व छात्र कालेज में प्रयोगात्मक कार्य करना चाहेंगे उन्हें रु. 30/– प्रति विषय प्रतिमाह की दर से प्रयोगशाला शुल्क देना होगा।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क प्रत्येक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय आदेशानुसार जमा करना होगा। ऐसा न होने पर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र का होगा। इनके साथ ही बी.एससी. प्रथम वर्ष के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए यह आवश्यक है कि वह दिसम्बर माह से पूर्व ही अपना नामांकन विश्वविद्यालय में करवा लें।
6. विश्वविद्यालय एवं सरकार के नियामानुसार छात्रों को महाविद्यालय में 12 महीने की शुल्क जमा करनी होगी चाहे उसका प्रवेश सत्र के मध्य में कभी हुआ हो।
7. शुल्क का दिया हुआ धन किसी परिस्थिति में वापिस नहीं होगा।
8. विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा बीच सत्र में शुल्क में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन का छात्रों द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्रों को किसी प्रकार के प्रमाण–पत्र आदि को प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह पहले प्रार्थना–पत्र महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है उन्हें प्रवेश के पश्चात शीघ्र राष्ट्रीयकृत बैंक/ग्रामीण बैंक में अपना बचत खाता खोलना होगा। ऐसा न करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने पर इसके वितरण में होने वाली परेशानी के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के माननीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची

1.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार जी पालीवाल	- अध्यक्ष
2.	श्री राहुल जी पालीवाल	- प्रबन्धक
3.	श्री ओमप्रकाश जी पालीवाल	- सचिव
4.	श्री कमलकान्त जी पालीवाल	- उप सचिव
5.	डॉ. अनुराग जी पालीवाल	- सदस्य
6.	श्री शैलेन्द्र जी शर्मा	- सदस्य
7.	श्री सुशील कुमार जी शर्मा	- सदस्य
8.	श्री मुनीन्द्र मोहन जी पालीवाल	- सदस्य
9.	श्री अनिल जी पालीवाल	- सदस्य
10.	श्री नरेंन्द्र कुमार जी पालीवाल	- सदस्य
11.	श्री करुणानिधि जी गर्ग	- सदस्य
12.	प्राचार्य	- पदेन सदस्य
13.	चक्रानुसार	- सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि
14.	‘‘ ’’	- सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि
15.	‘‘ ’’	- सदस्य शिक्षणेत्तर कर्म0 प्रतिनिधि

महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत प्राध्यापकगण

1.	श्री प्रवीन कुमार पालीवाल	- चीफ प्रॉक्टर/ऐन्टी रैगिंग एवं अन्य पिछडा वर्ग सैल प्रभारी
2.	श्री प्रवीन कुमार पालीवाल	- खेल प्रभारी/ छात्र शिकायत /छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ प्रभारी

1.	डॉ. सुशील कुमार	- सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी/ प्राथमिक चिकित्सा प्रभारी
4.	डॉ. आर. बी. पाण्डेय	- एन. सी. सी. अधिकारी (ए.एन.ओ.)
5.	डॉ. एम. पी. सिंह	- राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम अधिकारी
6.	डॉ. टी. एच नकवी	- राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोग्राम अधिकारी/अल्पसंख्यक सैल प्रभारी
7.	श्री पुष्कर सिंह	- रोबर्स अधिकारी / अधिष्ठाता छात्र कल्याण निधि
8.	कु. शालू अग्रवाल	- रेंजर्स अधिकारी
9.	डॉ. ए. के. चौधरी	- उद्यान प्रभारी
10.	डॉ. अजय कुमार	- पूर्व छात्र लेखा प्रभारी

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य – प्रो. विशाल पाठक एम.एस.सी., पीएच.डी. (रसायन विज्ञान)

प्राध्यापक –

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ.ए.के.चौधरी, एम.एससी., पीएच.डी. –विभागाध्यक्ष
2. डॉ.अजय कुमार , एम.एससी., पीएच.डी.
3. रिक्त
4. रिक्त

भौतिक विज्ञान विभाग

1. श्री सुनील कुमार पटेल, एम.एससी., नेट –विभागाध्यक्ष
2. श्री भुवनेश कुमार, एम.एससी.
3. रिक्त

रसायन विज्ञान विभाग

1. प्रो.विशाल पाठक, एम.एससी., पीएच.डी. –विभागाध्यक्ष
2. प्रो.प्रेम प्रभाकर, एम.एससी., पीएच.डी.
3. डॉ.हुजैका सगीर, एम.एससी., पीएच.डी.
4. कु.तनु एम.एस सी., नेट

जन्तु विज्ञान विभाग

1. प्रो.मित्रपाल सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. –विभागाध्यक्ष
2. कु.शालू अग्रवाल, एम.एससी., नेट
3. डॉ.सुशील कुमार, एम.एससी., पीएच.डी.
4. डॉ.आर.बी.पाण्डेय, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.

गणित विभाग

1. श्री पुष्कर सिंह, एम.एससी.नेट –विभागाध्यक्ष
2. श्री वीरेन्द्र सिंह, एम.एससी.
3. डॉ अनुराग पालीवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
4. रिक्त

बीज प्रौद्योगिकी विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ.टी.एच.नकवी, एम.ए.,पीएच.डी. –विभागाध्यक्ष

कम्प्यूटर विभाग

1. श्री राजीव अग्रवाल, एम.एससी., एम.सी.ए. –विभागाध्यक्ष
2. श्री पवन कुमार भारद्वाज, एम.एससी., एम.सी.ए.
3. रिक्त
4. रिक्त
5. श्री राजीव मुद्गल –लैब सहायक
6. श्री हिमांशु पालीवाल (सम्बध्द कार्यलय) – लिपिक

बी.बी.ए. विभाग

1. प्रो. एम.एल. अग्रवाल, एम. कॉम, पीएच.डी. –विभागाध्यक्ष
2. श्री अभिषेक शर्मा, एम.कॉम., नेट
3. श्री अनमोल यादव, एम.कॉम., नेट
4. श्री कुलदीप यादव, एम. ए. (अग्रेजी) (Guest Teacher)
5. श्री लक्ष्मण माहेश्वरी, एम. ए. (Guest Teacher)
6. श्री हर्षित पालीवाल – सहायक

कार्यालय

1. श्री नवीन कुमार पालीवाल, बी.ए., बी. लिब एस सी –कार्यालय अधीक्षक
2. श्रीमती सुनीता पचौरी, बी.ए.(संविदा पर) –कार्यालय लिपिक
3. श्री अमित दुबे, बी.ए. (संविदा पर) –कार्यालय लिपिक
4. विकास बाबू (संविदा पर) –कार्यालय सहायक

पुस्तकालय

1. श्री प्रवीन कुमार पालीवाल, एम. लिब. एम. फिल –पुस्तकालयाध्यक्ष
2. श्री कुलदीप कुमार पालीवाल, बी.ए. (संविदा पर) –पुस्तकालय लिपिक
3. श्री राकेश पालीवाल (संविदा पर) –पुस्तकालय लिपिक

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री सुरेन्द्र सिंह –भौतिक विज्ञान विभाग
2. रिक्त –रसायन विज्ञान विभाग
3. रिक्त –वनस्पति विज्ञान विभाग
4. रिक्त –जन्तु विज्ञान विभाग

प्रयोगशाला (सहायक/परिचर)

1. श्री समीर पालीवाल (संविदा पर)
2. श्री बारे लाल (संविदा पर)
3. श्री रामसिंह (संविदा पर)
4. रिक्त

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री सन्तोष कुमार सारस्वत
2. श्री रक्षपाल
3. श्री एजाज मुहम्मद (संविदा पर)
4. श्री गन्दर्भ (संविदा पर)
5. श्री सत्यप्रकाश (संविदा पर)
6. श्री सुनील कुमार (संविदा पर)
7. श्रीमती कैलादेवी (संविदा पर)
8. रिक्त
9. रिक्त

पालीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद

प्रशासनिक समितियाँ (Main Portfolios)

छात्र कल्याण के लिए, विद्यार्थियों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गुणों के विकास के लिए एवं महाविद्यालय में शिक्षण आदि विविध गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सत्र में अनेक समितियों का गठन किया जाता है।

आई. क्यू. ए. सी. (IQAC) समिति

प्रो. विशाल पाठक	(प्राचार्य)
प्रो. प्रेम प्रभाकर	(प्रोफेसर)
प्रो. एम. पी. सिंह	(प्रोफेसर)
श्री प्रवीन कुमार पालीवाल	(असिस्टेंट प्रोफेसर)
डॉ. अजेय करण चौधरी	(असिस्टेंट प्रोफेसर)
श्री पी. के भारद्वाज	(असिस्टेंट प्रोफेसर)
डॉ. टी. एच. नकवी	(असिस्टेंट प्रोफेसर)
श्री ओमप्रकाश पालीवाल	(सचिव प्रबन्ध समिति)
उपजिलाधिकारी	(फिरोजाबाद)
अधिशासी अधिकारी	(नगर पालिका शिकोहाबाद)
श्री विवेक गुप्ता	(सदस्य)
श्री रवि यादव	(सदस्य)
श्री दीपक औहरी	(पर्यावरण मित्र NGO हिन्द लैम्प लि.)

उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

श्री पुष्कर सिंह
डॉ. अनुराग पालीवाल

शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

प्रो. मित्रपाल सिंह
डॉ. अजेय करण चौधरी
डा. सुशील कुमार

अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

प्रो. प्रेम प्रभाकर
प्रो. मित्रपाल सिंह
श्री सुनील कुमार पटेल

ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Learning Management System)

डॉ. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कर सिंह
श्री सुनील कुमार पटेल
श्री पवन कुमार भारद्वाज

भारतीय भाषा, सस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

डॉ. सुशील कुमार
डॉ. आर.बी.पाण्डेय
कु. शालू अग्रवाल

राट्रीय सेवा योजना

प्रो. मित्रपाल सिंह
डॉ. टी. एच. नकवी

एक्टिविटी क्लब

डॉ. हौजेफा सगीर
कु. शालू अग्रवाल
डॉ. सुशील कुमार

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ

डॉ. अजय कुमार
डॉ. टी. एच. नकवी

दिव्यांग एवं वंचित समूह सहायता योजना

प्रो. प्रेम प्रभाकर
श्री सुनील कुमार पटेल
डॉ. अनुराग पालीवाल

मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

श्री पुष्कर सिंह
श्री वीरेन्द्र सिंह
श्री एन. के. पालीवाल
डॉ. अनुराग पालीवाल

इन प्रकोष्ठ के अतिरिक्त वर्ष या महाविद्यालय में कार्यशील समितियों के नाम भी यहाँ अंकित है:

अनुशासन समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. हौजेफा सगीर
डॉ. अजय कुमार
डॉ. सुशील कुमार
डॉ. आर. बी. पाण्डेय
डॉ. टी. एच. नकवी
कु. शालू अग्रवाल
कु. तनु

छात्र कल्याण समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
श्री प्रवीन कुमार
डॉ. टी. एच नकवी

आन्तरिक परीक्षा समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ सुशील कुमार
श्री सुनील कुमार पटेल

सांस्कृतिक समिति

डॉ. सुशील कुमार
डॉ. हौजेफा सगीर
डॉ. अनुराग पालीवाल
श्री भुवनेश कुमार
कु. शालू अग्रवाल

समय सारणी समिति

डॉ. टी. एच. नकवी
श्री राजीव अग्रवाल
डॉ. ए.के. चौधरी

संस्थागत विकास योजन प्रकोष्ठ

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
श्री राजीव अग्रवाल
श्री एन. के. पालीवाल

प्राथमिक चिकित्सा

डॉ. सुशील कुमार

कैरियर काउन्सलिंग एवं गाइडैन्स सैल

डॉ. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कर सिंह
श्री राजीव अग्रवाल
श्री भुवनेश कुमार

पुरातन छात्र समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
डॉ. आर. बी. पाण्डेय
डॉ. अजय कुमार
श्री आकाश यादव (एड.)
डॉ. अनुराग पालीवाल
कु. तनु

समस्या निवारण एवं सुझाव समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार

रोवर्स एवं रेन्जर्स प्रभारी

श्री पुष्कर सिंह
कु. शालू अग्रवाल

एन. ई. पी. समिति

श्री पुष्कर सिंह
डॉ. अजेय करण चौधरी

कालेज पत्रिका समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
डॉ. आर.बी. पाण्डेय
कु. शालू अग्रवाल

एन्टी रैगिंग समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
श्री भुवनेश कुमार
कु. शालू अग्रवाल

पुस्तकालय समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
प्रो. मित्रपाल सिंह
श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डा. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कर सिंह
श्री सुनील कुमार पटेल
श्री राजीव अग्रवाल
डॉ. टी. एच. नकवी
प्रो. एम.एल. अग्रवाल

भवन, अनुरक्षण, विकास, स्वच्छता एवं साज सज्जा समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
श्री राजीव अग्रवाल
डॉ. आर. बी. पाण्डेय
डॉ. अजेय करण चौधरी

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

डॉ. आर. बी. पाण्डेय (**ANO**)

छात्रवृत्ति समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
श्री सुनील कुमार पटेल
डॉ. अनुराग पालीवाल
श्री हिमांशु पालीवाल
श्री विकास बाबू

विवरणिका समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
श्री नवीन कुमार पालीवाल

क्रीड़ा समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
श्री सुनील कुमार पटेल
डॉ. आर. बी. पाण्डेय
श्री नवीन कुमार पालीवाल
कु. शालू अग्रवाल

प्लेसमेन्ट सैल

डॉ. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कर सिंह
श्री भुवनेश कुमार

यातायात सुरक्षा समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
प्रो. मित्रपाल सिंह
डॉ. आर.बी. पाण्डेय

उद्यान समिति

डॉ. अजेय करण चौधरी
डॉ. अजय कुमार

व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ

डॉ. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कार सिंह
कु. शालू अग्रवाल
श्री नवीन कुमार पालीवाल

आई. टी. नेटवर्क एवं कॉलेज बेबसाइट समिति

डॉ. अजेय करण चौधरी
श्री पुष्कर सिंह
श्री सुनील कुमार पटेल
श्री पवन कुमार भारद्वाज

आर. टी. आई समिति

श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
डॉ. सुशील कुमार
डॉ. टी. एच. नकवी
श्री नवीन कुमार पालीवाल

योग एवं मेडीटेशन समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
प्रो. मित्रपाल सिंह
डॉ. आर. बी. पाण्डेय

यू. जी. सी. समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
डॉ. सुशील कुमार
श्री राजीव अग्रवाल
श्री नवीन कुमार पालीवाल

NAAC समिति

प्रो. प्रेम प्रभाकर
प्रो. मित्रपाल सिंह
श्री प्रवीन कुमार पालीवाल
श्री राजीव अग्रवाल
श्री पुष्कर सिंह
श्री सुनील कुमार पटेल
डॉ. सुशील कुमार
डॉ. टी. एच. नकवी

UP-PRAMAN पोर्टल समिति

प्रो. विशाल पाठक – प्राचार्य
डॉ. अजेय करण चौधरी – समन्वपक
श्री पुष्कर सिंह – सह समन्वपक
श्री पी.के. भारद्वाज – सह समन्वपक
डॉ. अनुराग पालीवाल – सह समन्वपक

शुल्क विवरण सत्र 2026-27

वार्षिक शुल्क

क्र.सं.	विवरण	BSc.-I	BSc.-II	BSc.-III	MSc.-M (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)
1.	प्रवेश प्रार्थना–पत्र एवं पंजीकरण	25.00	25.00	25.00	25.00
2.	प्रवेश	3.00	3.00	3.00	3.00
3.	विकास	30.00	30.00	30.00	30.00
4.	पंखा	150.00	150.00	150.00	150.00
5.	विश्वविद्यालय परीक्षा (परीक्षा फार्म सहित)	1600.00	1600.00	1600.00	4400.00
6.	छात्र प्रशासन एवं कल्याण	12.00	12.00	12.00	12.00
7.	छात्र परिचय–पत्र	8.00	8.00	8.00	8.00
8.	ग्रीष्म तथा शीतकालीन	250.00	250.00	250.00	250.00
9.	नामांकन	300.00			300.00
10.	कॉशनमनी	40.00			50.00
11.	पत्रिका	15.00	15.00	15.00	15.00
12.	वाषिक समारोह/दीक्षॉत समारोह/ सांस्कृतिक समारोह	125.00	125.00	125.00	125.00
13.	प्रयोगशाला प्रासंगिक	35.00	35.00	35.00	35.00
14.	पुस्तकालय प्रासंगिक	20.00	20.00	20.00	20.00
15.	कॉलेज भवन रख–रखाव	30.00	30.00	30.00	30.00
16.	चिकित्सा	12.00	12.00	12.00	12.00
17.	शिक्षण	132.00	132.00	132.00	180.00
18	डिग्री शुल्क	300.00			300.00 (पूर्वार्द्ध)
19.	मँहगाई	240.00	240.00	240.00	240.00
20.	खेल–कूद	400.00	400.00	400.00	400.00
21.	पुस्तकालय	30.00	30.00	30.00	38.00
22.	निर्धन कोष	12.00	12.00	12.00	12.00
23.	साइकिल स्टैण्ड	750.00	750.00	750.00	750.00
24.	ष्ब्ब्	100.00	100.00	100.00	100.00
25.	रोबर्स एण्ड रेजर्स	50.00	50.00	50.00	50.00
26.	वोकेशनल	500.00	250.00		
	योग	**5169.00**	**4279.00**	**4029.00**	**7535.00** (पूर्वार्द्ध)
	प्रयोगशाला शुल्क गणित वर्ग	480.00	480.00	480.00	**7235.00** (उत्तरार्द्ध)
	जीव विज्ञान वर्ग	720.00	720.00	720.00	
	कुल योग गणित वर्ग (छात्र)	**5649.00**	**4759.00**	**4509.00**	
	(छात्रायें)	**5517.00**	**4627.00**	**4377.00**	
	कुल योग जीव विज्ञान वर्ग (छात्र)	**5889.00**	**4999.00**	**4749.00**	
	(छात्रायें)	**5757.00**	**4867.00**	**4617.00**	

नोट 1. बी.एससी.द्वितीय व तृतीय एवं एम.एससी.पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में कालम 9 एवं 10 में अंकित शुल्क उन्हीं छात्रों को जमा करना है, जिनका नामांकन डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा से नहीं हुआ है तथा वे दूसरे कालेजों से आये हों।

2. बीज प्रौद्योगिकी के छात्रों से 1250/– रु. शुल्क प्रतिवर्ष तथा कम्प्यूटर विज्ञान के छात्रों से 3500/–रु. शुल्क प्रतिवर्ष उक्तशुल्क के अतिरिक्त लिया जायेगा। अन्य एम.एससी. कक्षाओं की वार्षिक शुल्क शासनादेश के अनुसार देय होगी।

3. समस्त अनुसूचित जाति/जनजातिके छात्र/छात्रायें शासनादेशानुसार प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क ही जमा करेंगे।

4. यदि शासन द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि की जाति है तो विद्यार्थियों को बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा।

5. बी.एस सी. तृतीय वर्ष एवं एम. एस सी. उत्तरार्द्ध के छात्र/छात्रओं से प्रवेश के समय 300/– रूपये अतिरिक्त डिग्री शुल्क लिया जायेगा।

विशेष : सत्र 2026-27 की परीक्षाओं में केवल एक ही उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचनायें

- नियमावली के सभी अंश भली भाँमि पढ़ लें जब स्वीकार हो तभी प्रवेश हेतु आवेदन करें।
- आन्तरिक प्रशासन के हित में किसी भी छात्र को प्रवेश देने या न देने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है। प्राचार्य किसी भी छात्र नाम आन्तरिक प्रशासन के हित में बिना कारण बताये विद्यालय से काट सकते हैं।
- महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की छत्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र/छात्राओं की महाविद्यालय में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर छात्रवृत्ति का फॉर्म अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- प्राचार्य द्वारा घोषित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियामावली के किसी भी अंश को किसी भी समय बदला जा सकता है, जिसकी सूचना सूचना–पट पर प्रकाशित की जायेगी।
- एक बार जमा की गई फीस लौटाई नहीं जायेगी और न ही स्थानान्तरित की जायेगी, अत: सोच समझकर प्रवेश लें।
- विधिवृत प्रवेश लेने के उपरान्त बीच में सत्र छोड़कर चले जाते हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वह महाविद्यालय से अपना नाम कटा लें **No Dues** कर लें। ऐसा न करने पर शुल्क बकाया के रूप में चढता है, तो आगे चलकर उन्हें परेशानी में डाल देता है।

Estd : 1969

PALIWAL P.G. COLLEGE

SHIKOHABAD

PALIWAL POSTGRADUATE COLLEGE

SHIKOHABAD-283 135 (U.P.)